>

Title: Need to ensure adherence to terms & conditions by FDI investors in the country.

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (उत्तर पूर्व दिल्ली): सरकार के आर्थिक नीतिकारों के मानस पर आज प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सर्वोच्च प्रतीत होता है। इसमें कोई बुराई भी नहीं, अगर इसका कार्यान्वयन और प्रबंधन उचित और पारदर्शी हो। परंतु वास्तविकता इसके विपरीत है। विदेशी निवेशकों में आज यह सामान्य प्रवृत्ति है कि निवेश समझौते में ऐसी बातें रखें कि परोक्ष रूप से कंपनी का सारा नियंत्रण और प्रबंधन उनके हाथ में आ जाए। इसलिए मैं इन मुद्दों पर सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग करता हूं - (1) क्या विदेशी निवेशकों द्वारा निवेश समझौते में दर्शायी जाने वाली न्यूनतम 25 से 40 प्रतिशत की मुनाफा दर, डॉलर मुद्रा में चक्रवृद्धि ब्याज की शर्त आरबीआई और एफआईपीपीबी के दिशानिर्देशों के अनुरूप है; (2) क्या निवेश समझौते के अनुसार इक्विटी निवेश को बाह्य वाणिज्यिक ऋण में परिवर्तित किया जा सकता है; (3) निवेश समझौते में वर्णित वोटिंग अधिकार क्या साधारणतया 26 प्रतिशत की अधिकतम सीमा का उल्लंघन नहीं करते; (4) क्या ऐसे प्रावधान आरबीआई, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति, कंपनी अधिनियम, एफआईपीपीबी के दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं करते, जिनके अंतर्गत विदेशी निवेशक कम शेयरधारक होने के बावजूद मैजारिटी वोटिंग का अधिकार लेकर भारतीय कंपनियों को अपने नियंत्रण में ले लेते हैं; (5) क्या कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार तृतीय पक्ष के विकल्प द्वारा निवेश की प्रकृति को बदला जा सकता है। यदि हां, तो क्या यह एफडीआई नियमों का उल्लंघन नहीं है; (6) सुनिश्चित लाभ की शर्तों वाले समस्त प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अगर ऋण में बदल दिया जाए तो इसका देश की अर्थव्यवस्था और स्वतंत्र क्रेडिट रेटिंग पर क्या प्रभाव होगा ?